न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
129 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	26.12.2022	22.03.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....आवेदक

बनाम

1–श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन निवासी भूमि विकास बैंक के सामने उनियारा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स मंगल किराणा स्टोर भूमि विकास बैंक के सामने उनियारा जिला टोंक
2–मैसर्स मंगल किराणा स्टोर भूमि विकास बैंक के सामने उनियारा जिला टोंक
3–श्री सुशील कुमार जैन पुत्र श्री लालचन्द जैन निवासी वार्ड नं. 17 रविन्द्र कॉलोनी नैनवां जिला बून्दी प्रोपरायटर मैसर्स सुशील एन्टरप्राईजेज भगतसिंह चौराहा बून्द रोड नैनंवा जिला बून्दी राज.
4–मैसर्स सुशील एन्टरप्राईजेज भगतसिंह चौराहा बून्द रोड नैनंवा जिला बून्दी राज.
5–श्री साहिल झालानी पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता निवासी 76 पंचवटी स्कीम नं. 07 अलवर राज. नॉमिनी मैसर्स सीबा मसाला उद्योग प्रा. लि. पुराना इण्ड. एरिया इटारना रोड अलवर राज.
6–मैसर्स सीबा मसाला उद्योग प्रा. लि. पुराना इण्ड. एरिया इटारना रोड अलवर राज.

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–निर्माता फर्म के प्रतिनिधि उप.।

:–**निर्णय**–: **दिनांक 22.03.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 12.10.2022 को समय 05:00 पी.एम पर मैसर्स मंगल किराणा स्टोर भूमि विकास बैंक के सामने उनियारा जिला टोंक जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री चन्द्रप्रकाश जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मागे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ प्लास्टिक के एक कट्टे में लगभग 40 पैकेट पैक्ड अवस्था में प्रत्येक नग 500–500 ग्राम पैक **धनिया पावडर (सीबा**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

ब्राण्ड) रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री चन्द्रप्रकाश जैन को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **धनिया पावडर (सीबा ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर एल 25 एवं पैकिंग की दिनांक 14.09.2022 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 500–500 ग्राम के 4 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **धनिया पावडर (सीबा ब्राण्ड)** 500–500 ग्राम के 4 मूल पैक के ज्यों का त्यों नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3298 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3298 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना मुख्य खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक द्वारा नमूना क्रय करते समय विक्रेता श्री चन्द्रप्रकाश जैन पुत्र श्री मूलचन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स सुशील एन्टरप्राईजेज भगतसिंह चौराहा बून्द रोड नैनंवा जिला बून्दी राज. का खरीद बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3572 दिनांक 31.10.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2993/एक्ट/2022/3026 दिनांक 21.10.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया गया **धनिया पावडर (सीबा ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** व खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया।

आवेदक द्वारा मैसर्स सुशील एन्टरप्राईजेज भगतसिंह चौराहा बून्द रोड नैनंवा जिला बून्दी राज. के व्यवहारी को पत्र लिखकर बतौर वारन्टी खरीद बिल चाहा गया जिस पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स सीबा मसाला उद्योग प्रा. लि. पुराना इण्ड. एरिया इटारना

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

रोड अलवर राज. का बिल पेश कर इस फर्म को उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माता होना बताया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से निर्माता फर्म के प्रतिनिधि नरेश पहाडिया उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में अप्रार्थीगण की ओर से जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **धनिया पावडर (सीबा ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण के प्रतिनिधि एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **धनिया पावडर (सीबा ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 व 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 22.03.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

([illegible])
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0